

## प्रारूप - 19

परियोजना का नाम - पौखरा रेवेडा

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 11-06-2019 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

| क्र.सं. | भूमि की श्रेणी     | वन<br>ब्लॉक /<br>कम्पार्टमेंट<br>/ खसरा<br>संख्या | प्रजाति        | वैज्ञानिक<br>नाम | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |               |     |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|
|         |                    |                                                   |                |                  | 20-30      | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से<br>अधिक | योग |
| 1       | आरक्षित वन<br>भूमि | खसरा 2<br>(B), 3, 4, 5                            | चौड़<br>देवदार |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |
| 2       | सिविल सोयम         |                                                   |                |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |
| 3       | वन पंचायत          |                                                   |                |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |
| 4       | संरक्षित वन        |                                                   |                |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |
|         | योग-<br>वन भूमि    |                                                   |                |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |
| 5       | नाप भूमि           |                                                   |                |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |
|         | कुल योग-           |                                                   |                |                  |            |       |       |       |       |       |       |               |     |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पतन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रभागीय वनाधिकारी  
घकराता वन प्रभाग  
चक्रपत्ता  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन क्षेत्राधिकारी  
खसनाड रेंज  
नाडा

हो/- अधिशासी अभियन्ता  
प्रयोजनमय प्रशासकी, उत्तराखण्ड पंचायत विभाग  
बया घकराता (पुरोही)

राज्य सरकार  
राज्य विभाग  
R.S.I.

(सी. रविशंकर)  
हो/- जिला अधिकारी  
देहरादून

## प्रारूप - 20

परियोजना का नाम - चौरवरा रेवडा पेयजल योजना

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

| क्र०सं० | वृक्ष प्रजाति का नाम | व्यास वर्ग | वृक्षों की संख्या | दर | कुल मूल्य |
|---------|----------------------|------------|-------------------|----|-----------|
|         |                      | 20-30      |                   |    |           |
|         |                      | 30-40      |                   |    |           |
|         |                      | 40-50      |                   |    |           |
|         |                      | 50-60      |                   |    |           |
|         |                      | 60-70      |                   |    |           |
|         |                      | 70-80      |                   |    |           |
|         |                      | 80-90      |                   |    |           |
|         |                      | कुल योग    | २२५               |    |           |

ह०/-  
राजि अधिकारीप्रभागीय वनाधिकारी  
चक्रवर्ती वन प्रभाग  
ह०/-  
प्रभागीय वनाधिकारीवन क्षेत्राधिकारी  
रिखनाड रेंज  
नाडा

नोट- आरक्षित वन भूमि/सिविल सोयम भूमि/वन पंचायत भूमि/संरक्षित वन भूमि/नाप भूमि के लिये उपरोक्त मूल्यांकन अलग-अलग करना होगा।

MS  
वन क्षेत्राधिकारी  
रिखनाड रेंज  
नाडा

## प्रारूप - 20.1

परियोजना का नाम - मोरवडा रवेडा पैमजल योजना

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

| क्र० सं० | भूमि का प्रकार  | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |            | योग |
|----------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|          |                 | 20-30      | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |
| 1        | आरक्षित वन भूमि |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 2        | सिविल सोयम      |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 3        | वन पंचायत       |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 4        | संरक्षित वन     |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
|          | योग-            |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 5        | नाप भूमि        |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
|          | कुल योग-        |            |       |       |       |       |       |       |            |     |

ह०/-  
राजि अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी  
ह०/-  
चक्राती वन प्रभाग  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चक्राती

MS  
वन क्षेत्राधिकारी  
रिखनाड रेंज  
नाडा

## प्रारूप - 21

परियोजना का नाम - मोरबरा रेवडा पेयजल योजना

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

| क्र०सं० | भूमि की श्रेणी  | विद्यमान वृक्षों की संख्या | वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या | विवरण |
|---------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1       | आरक्षित वन भूमि |                            |                                                  |       |
| 2       | सिविल सोयम      |                            |                                                  |       |
| 3       | वन पंचायत       |                            |                                                  |       |
| 4       | संरक्षित वन     |                            |                                                  |       |
|         | योग - वन भूमि   |                            |                                                  |       |
| 5       | नाप भूमि        |                            |                                                  |       |
|         | कुल योग-        |                            |                                                  |       |

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल रिस्ट वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 25 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
आधिकासी अभियन्ता  
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम  
बन्या चकराता (पुरोही)

प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
प्रभागीय वनाधिकारी

MS  
वन क्षेत्राधिकारी  
रिखनाड रेंज  
नाडा

## प्रारूप - 22

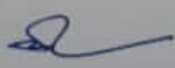
परियोजना का नाम - पीरबरा रेवेडा पैमजल योजना

## वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ..... को स्थलीय किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

| क्र० सं० | भूमि की श्रेणी  | वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या | प्रजाति | वैज्ञानिक नाम | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |            | योग |
|----------|-----------------|---------------------------------------|---------|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|          |                 |                                       |         |               | 20-30      | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |
| 1        | आरक्षित वन भूमि |                                       | बांज    |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 2        | सिविल सोयम      |                                       | बांज    |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 3        | वन पंचायत       |                                       | बांज    |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 4        | संरक्षित वन     |                                       | बांज    |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
|          | योग- वन भूमि    |                                       |         |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
| 5        | नाप भूमि        |                                       | बांज    |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |
|          | कुल योग-        |                                       |         |               |            |       |       |       |       |       |       |            |     |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चक्रपता वन प्रभाग  
चक्रपता

ह०/-  
वन संरक्षक

प्रारूप - 23

परियोजना का नाम - मोरवरी रेवेडा पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।

ह0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
अधशासी अभियन्ता  
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम  
बया चकराता (पुढोदी)

प्रभागीय वनाधिकारी  
ह0/-  
चकराता वन प्रभसा  
चकराता

MS  
वन क्षेत्राधिकारी  
रिखनाड रेंज  
नाडा

प्रारूप - 24

परियोजना का नाम - पोरवरा रेवडा पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है, व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

रिक्त

H0/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
अधिसूची अभियन्ता  
विकास शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम  
बन्या बक्यता (पुरोही)

[Signature]

[Signature]  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चक्रवर्ती/वन प्रभाग  
प्रभागीय वनाधिकारी

MS  
वन क्षेत्राधिकारी  
रिखनाड रेंज  
नाडा